



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-3371-औसं-17/पाकालि/2021-11(1)ए०एस०/09(20)

दिनांक: 30 अक्टूबर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1501-औसं-17/पाकालि/2021-11(1)ए०एस०/09(20) दिनांक 15.06.2021 द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक मान्यता प्राप्त अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आईवीएफ सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 765 ए०बी०सी० काम्प्लेक्स, कानपुर रोड़, आलमबाग, लखनऊ (आईवीएफ उपचार को छोड़ते हुए) की मान्यता चिकित्सालय प्रबन्धन से प्राप्त नवीनतम पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जो दिनांक 30.04.2022 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/ मानकों एवम् अनुमोदित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अधीन दिनांक 01.08.2021 से अग्रेतर दिनांक 30.04.2022 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन विस्तारित की जाती है :-

1. उक्त चिकित्सालय को सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:- 3371 (1) औसं-17/पाकालि/2021-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं के०को, कानपुर।

Nob

क्रमशः 2/-

7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आई०वी०एफ सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 765 ए०बी०सी० काम्पलेक्स, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical/E-Book पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

Not Marked
(नवनीत माथुर) 30.10.24

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी